

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 6, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

शुद्धिपत्र

क्रमांक - 08/चार/वि.स.उप निर्वाचन/24-मरवाही/2020/4026. — विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही (अजजा) के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2020 हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी शुद्धिपत्र संख्या-3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर./खण्ड-II दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

शुद्धिपत्र

सं. 3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर./खण्ड-II.— आयोग के आदेश सं. 3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर./खण्ड-II दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद सं. (iii) में 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड' के स्थान पर 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,

हस्ता./-

(एन. टी. भूटिया)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 19th October 2020

CORRIGENDUM

No. 3/4/ID/2020/SDR/VOLII.— In the Hindi Version of the Commission's Order No. 3/4/ID/2020/SDR/VOLII Dated 14th October, 2020 under item No. (iii) of the Para 7 for the phrase "बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड" the phrase "बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक shall be substituted.

By order,

Sd/-
(N. T. Bhutia)
Secretary.